राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2472/2021

शीला रावत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग, 2 जलपथ, गांधीनगर, जयपुर।
3. उप निदेशक (प्रशासन), एकीकृत बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग, 2 जलपथ, गांधीनगर, जयपुर।
4. श्रीमती नीता पाठक, D/O श्री बुद्धि प्रकाश पाठक C/O सरजमल भोजक, सोनिया चौक, डूंगरपुर (राज.)।
5. श्रीमती नीलिमा पाठक D/O श्री बुद्धि प्रकाश पाठक C/O ए.के.पठान, सोनिया चौक, डूंगरपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.07.2021
आदेश की दिनांक : 26.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मचन्द जैन, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को एसीडीपीओ के पद पर रिक्ति वर्ष 2019–20 के विरूद्ध जिस तिथी से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान की गई है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी पदोन्नति के समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान करते हुए पदोन्नति प्रदान की जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति महिला पर्यवेक्षक के पद पर दिनांक 19.05.1987 को हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा टीएसपी एवं नॉन टीएसपी क्षेत्रों की अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 19.11.2020 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 19 पर टीएसपी सूची के लिए अंकित किया गया। जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक जिनका नाम क्रम

संख्या 15, 16, 19–22, 24, 26–29, 32, 34, 35, 41, 43–45 जो नॉन टीएसपी की वरियता सूची में अंकित किए गए हैं। उनका कथन है कि टीएसपी एवं नॉन टीएसपी की सामान्य सूची जारी की गई और कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 28.08.2018 के आधार पर तैयार की गई, जिसमें चयन वर्ष एवं सेवा अवधि के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी। कनिष्ठ कार्मिक नॉन टीएसपी में आते हैं, जिनको रिक्ति वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के विरूद्ध एसीडीपीओ के पद पर आदेश दिनांक 12.07.2021 के द्वारा पदोन्नत कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में विभाग को अभ्यावेदन दिया, जिस पर विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को एसीडीपीओ के पद पर रिक्ति वर्ष 2019–20 के विरूद्ध जिस तिथी से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान की गई है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी पदोन्नति के समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान करते हुए पदोन्नति प्रदान की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि विभागीय आदेश दिनांक 12.07.2021 द्वारा डीपीसी की अभिशंषा के आधार पर पर्यवेक्षकों को एसीडीपीओ के पद पर पदोन्नत किया गया है और उक्त पदोन्नति अधिसूचना दिनांक 19.11.2020 के द्वारा जारी गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र की संशोधित वरिष्ठता सूची के आधार पर की गई है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.01.2014 द्वारा जारी राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्त) नियम, 2014 के नियम 6(3) के अनुसार विभाग के जिन कार्मिकों के टीएसपी क्षेत्र में रहने के निर्धारित अवधि में विकल्प प्राप्त हुए थे, उनके द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर अनुसूचित क्षेत्र में रखा जाकर पृथक सूची वर्ष 2015 एवं उत्तरोत्तर वर्षों में जारी की जाकर उन्हें यथास्थान वरिष्ठता सूची में स्थान प्रदान किया गया है। अपीलार्थी टीएसपी क्षेत्र की वरिष्ठ सूची में सम्मिलित है जबकि नीता पाठक एवं नीलिमा पाठक गैर अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित वरिष्ठता सूची में सम्मिलित हैं और इस प्रकार पृथक–पृथक सूची एवं अनुसूचित क्षेत्र तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र अलग–अलग वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई है, जो उचित एवं नियमानुसार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति महिला पर्यवेक्षक के पद पर दिनांक 19.05.1987 को हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा टीएसपी एवं नॉन टीएसपी क्षेत्रों की अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 19.11.2020 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 19 पर टीएसपी सूची के लिए अंकित किया गया। जहां तक अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को रिक्ति वर्ष 2019–20 के विरूद्ध एसीडीपीओ के पद पर पदोन्नत किए जाने तथा अपीलार्थी को उक्त पद पर उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध पदोन्नति से वंचित किए जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी टीएसपी क्षेत्र की वरिष्ठ सूची में सम्मिलित है जबकि नीता पाठक एवं नीलिमा पाठक गैर अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित वरिष्ठता सूची में सम्मिलित हैं। अपीलार्थी विभागीय आदेश दिनांक 12.07.2021 द्वारा डीपीसी की अभिशंषा के आधार पर पर्यवेक्षकों को एसीडीपीओ के पद पर पदोन्नत किया गया है और उक्त पदोन्नति अधिसूचना दिनांक 19.11.2020 के द्वारा जारी गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र की संशोधित वरिष्ठता सूची के आधार पर की गई है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.01.2014 द्वारा जारी राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्त) नियम, 2014 के नियम 6(3) के अनुसार विभाग के जिन कार्मिकों के टीएसपी क्षेत्र में रहने के निर्धारित अवधि में विकल्प प्राप्त हुए थे, उनके द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर अनुसूचित क्षेत्र में रखा जाकर पृथक सूची वर्ष 2015 एवं उत्तरोत्तर वर्षों में जारी की जाकर उन्हें यथास्थान वरिष्ठता सूची में स्थान प्रदान किया गया है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के तर्क में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य